FORM NO III APP-A

फर्द अहकाम Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गोपाल पुत्र श्री नन्दाजाट, बनाम लाला पुत्र श्री बोदू जाट, निवासी

निवासी मम्भाणा, तह० दूदू (जयपुर) मम्भाणा, तह० दूदू (जयपुर) व अन्य

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. (अपील) नम्बर 32 / सन् 2021 (32)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री विजेन्द्र चौधरी श्री एस.बी. ओझा । उप.	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
3.2.21	यह प्रार्थना पत्र श्री विजेन्द्र चौधरी एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 25.1.2021 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151जा.दी. के तहत् प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थी संख्या 01से 04 को दी गई। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन थी। उक्त प्रकरण मे सुनवाई के समय प्रार्थी के वकील घरेलू आवश्यक कार्य से बाहर चले जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सकें तथा प्रार्थी को भी प्रत्येक पेशी पर न आने की हिदायत थी जिसके कारण वह भी उपस्थित नहीं था इसलिए अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी है न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट के उपस्थित नहीं होने से अपील को विधि सम्मत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है। प्रार्थना पत्र को कोस्ट लगाकर न्यायहित में स्वीकार किया जावें। अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अंवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	